| |
|---|
| दिनांक 27.04.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 40/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**<u>जनपद शामली/थाना कांधला</u>**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 06 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.04.2025 को थाना कांधला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फतेहपुर नहर पुलिया के पास से अभियुक्त अनिकेत उर्फ अनी उर्फ कट्टी को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 06 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कांधला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1– अनिकेत उर्फ अनी उर्फ कट्टी निवासी ग्राम डूंगर थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।

**<u>बरामदगी</u>**

1–लूट के 06 हजार 500 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

**कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी**

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 27.04.2025 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दादरी बाईपास पर आईजीएल सीएनजी पम्प के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त स्वालिन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दादरी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—स्वालिन निवासी मोहल्ला रूकनसराय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

**जनपद संतकबीरनगर/थाना दुधारा**

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 27.04.2025 को थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुर्थिया गॉव कांटे चौकी के पास बस्ती—गोरखपुर हाईवे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शशिकान्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दुधारा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—शशिकान्त निवासी निवासी अदहलहाट जनपद मीरजापुर।

**जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी**

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 पिकअप वाहन**
- **चोरी के 18 किलो ताबे का तार, 16 लोहे का गार्टर**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 26/27.04.2025 की रात्रि थाना गुलावठी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फकाना नहर के पास पिकअप वाहन सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—इस्तकार उर्फ इस्ते घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—सद्दाम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 पिकअप वाहन, चोरी के 18 किलो ताबे का तार, 16 लोहे का गार्टर, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त इस्तकार उर्फ इस्ते के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त सद्दाम के विरूद्ध जनपद हापुड़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—इस्तकार उर्फ इस्ते निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़।

2—सद्दाम निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़।

**बरामदगी**

1—01 पिकअप वाहन।

2—चोरी के 18 किलो ताबे का तार, 16 लोहे का गार्टर।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

## जनपद हरदोई/थाना संडीला

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के आभूषण**
- **36 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी की मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.04.2025 को थाना संडीला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–सचिन 2–विवेक 3–सुमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के आभूषण, 36 हजार 500 रूपये नगद, चोरी की मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना संडीला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना संडीला पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना संडीला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–सचिन निवासी ग्राम मुरारनगर थाना संडीला जनपद हरदोई।

2–विवेक निवासी बुद्धा खेड़ा थाना संडीला जनपद हरदोई।

3–सुमित निवासी बुद्धा खेड़ा थाना संडीला जनपद हरदोई।

**बरामदगी**

1–चोरी के आभूषण।

2–36 हजार 500 रूपये नगद।

3–चोरी की मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

## जनपद शाहजहॉपुर/थाना सदर बाजार

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **05 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 27.04.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनसीसी तिराहा खण्डहर के पास से अभियुक्त रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 05 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–रवि निवासी बडी हरदेनी पहाडीपुर भोपत थाना खुदागंज जनपद शाहजहॉपुर।

**बरामदगी**

1–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–05 हजार रूपये नगद।

## जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 51 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनॉकः 27.04.2025 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बेहखरा मोड़ हाईवे के पास से 02 अभियुक्तों 1–वीरेन्द्र 2–विनय को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 51 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त वीरेन्द्र के विरूद्ध जनपद हरदोई के थाना पाली पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–वीरेन्द्र निवासी ग्राम खनिकला जहानपुर थाना पाली जनपद हरदोई।

2–विनय निवासी दिलेरगंज थाना शाहाबाद जनपद हरदोई।

**बरामदगी**

1–लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 51 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त कार।

## एसटीएफः जनपद–कानपुर देहात से गैगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त संदीप पासी गिरफ्तार।

दिनांक 26–04–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना गजनेर, जनपद–कानपुर देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0 128/2017 धारा 2/3 यूपी गैगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त संदीप पासी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–**

1– संदीप पासी उर्फ इब्राहिम उर्फ इमरान पुत्र विनोद कुमार उर्फ टिकई निवासी खजूरगॉव, थाना लालगंज, रायबरेली। हाल पता–ग्राम दरवेशाबाद थाना बिन्दकी फतेहपुर।

**<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>**

जिठरौली तिराहे पर बने प्रतीक्षालय, थाना क्षेत्र गजनेर, कानपुर देहात। दिनांक 26–04–2025 समय 21.40 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री घनश्याम यादव नि0 आशुतोष त्रिपाठी, मु0आ0 दिलीप, राजेश, शिवभोला शुक्ला, कुलदीप सिंह की टीम जनपद कानपुर देहात में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना गजनेर, जनपद–कानपुर देहात में पंजीकृत गैगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त संदीप पासी जिठरौली तिराहे पर बने प्रतीक्षालय पर मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर वांछित अभियुक्त को आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर शराब की तस्करी करता था। शराब तस्करी के दौरान पकड़ा गया और जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद इसके विरूद्ध गैगेस्टर की कार्यवाही हुई, जिस बात की इसे जानकारी हुई, तो यह फरार हो गया और इधर उधर स्थान बदलकर छिपकर रहने लगा। लगभग 07–08 वर्ष पूर्व अपने समुदाय से भिन्न एक महिला से शादी कर लिया। अपनी पहचान छिपाने के लिए धर्म बदलकर अपना नाम इब्राहिम उर्फ इमरान रख लिया और ग्राम दरबेशाबाद, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर में रहकर सब्जी बेचने का काम करने लगा।

**अभियुक्त संदीप पासी उर्फ इब्राहिम का अपराधिक इतिहासः–**

1– मु0अ0सं0 334/16 धारा 420, 467, 468, 471, 272ए 273ए भादवि व 63(2), 72 आबकारी अधि0 एवं 63 कापी राईट अधि0 थाना–गजनेर, कानपुर देहात।

2– मु0अ0सं0 128/17 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगे0 एक्ट थाना–गजनेर, कानपुर देहात।

3– मु0अ0सं0 293/14 धारा 174 भादवि थाना–गजनेर, कानपुर देहात।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना थाना–गजनेर, कानपुर देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0 128/17धारा 3(1) उ0प्र0 गैगे0 एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।